न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 34/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट उम्र 30 वर्ष, निवासी चक 8 एफ बड़ा, ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

—— वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 8 एफ बड़ा, ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. रेणू सहारण पुत्री श्री लालचन्द जाति जाट निवासी चक 8 एफ बड़ा, ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी–1व 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.02.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है। चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 47/33 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 2/1(0.215 है.), 6/1(0.228 है.), 7 ता 22 (प्रत्येक में 0.253 है.), 23/1(0.177 है.) = 4.921 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 15/1 (0.013 है.), 16/2(0.228 है.), 17/1(0.026 है.), 17/3(0.164 है.), 18/1(0.025 है.), 18/2(0.190 है.), 18/3(0.038है.), 19/1(0.126 है.), 22/1(0.063 है.), 23(0.253 है.), 24(0.139 है.) = 1.265 है. (1.214 है. नहरी + 0.051 है. खाला), मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 3 की 0.038 है. कुल 6.224 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र रामप्रताप के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 8 एफ बड़ा के खाता संख्या 47/33 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी रामप्रताप पुत्र भैराराम के हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति का विभाजन होने पर विभाजन इन्तकाल संख्या 440 दिनांक 27/12/2016 से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी शादी शुदा है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे, वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एफ बड़ा की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
सुभाषचन्द्र पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी चक 8 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 47/33 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 2/1(0.215 है.), 6/1(0.228 है.), 7 ता 11 (प्रत्येक में 0.253 है.), 12(0.063 है.) = 2.024 है. नहरी
लालचन्द पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 8 एफ बड़ा तह. श्रीगंगानगर (राज0)	चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 47/33 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 12(0.190 है.),13 ता 22(प्रत्येक में 0.253 है.), 23/1(0.177 है.) =2.897 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 39 के किला न. 15/1(0.013है.), 16/2(0.228 है.),17/1(0.026 है.), 18/1(0.025 है.),18/2(0.190 है.), 18/3(0.038 है.), 19/1(0.126 है.), 22/1(0.063 है.), 23(0.253 है.), 24(0.139 है.) = 1.265 है. व मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 3 (0.038 है.) कुल 4.200 है. नहरी मय खाला

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 8 एफ बड़ा की कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 2.024 हैक्टयर कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई एवं शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 लालचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है । प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है । वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 30/01/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 47/33 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 2/1(0.215 है.), 6/1(0.228 है.), 7 ता 11 (प्रत्येक में 0.253 है.), 12(0.063 है.) = 2.024 है. नहरी वादी (सुभाष

खण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

चन्द्र पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट, निवासी चक 8 एफ बड़ा, ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 13.08.2020 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 8 एफ बडा, पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 47/33, पेश की। वादी द्वारा विरास्तन इंतकाल के साक्ष्य स्वरूप ग्राम 8 एफ बडा, पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 440/33, की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की। वादी द्वारा वाद के समर्थन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.11.2016 की प्रमाणित प्रति पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादी को चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 47/33 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 2/1(0.215 है.), 6/1(0.228 है.), 7 ता 11 (प्रत्येक में 0.253 है.), 12(0.063 है.)= 2.024 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.02.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/02/21

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner